


जयपुर

26.10.21

पत्रावली जेश हुई। वकील प्रार्थी  
या प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुए।  
वेकत अदालत बार-बार आवाज  
लगावामें के बाद भी कोई उपस्थित  
नहीं हुआ। पेशेकार सरकार उपस्थित  
प्रार्थी स्वयं या इनकी ओर से कोई  
भी उपस्थित नहीं होने पर प्रार्थना पत्र  
बाबत एन्थुथी अफम हाजरी, अफम  
पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तक मील  
कारिबल उपर है।

पालना  
मंत्रालय  
जयपुर  
2837  
27.12.21

  
26.10.21  
श्रीतारक कलकटर (चतुर्थ)  
जयपुर